न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्या:–02 / 2019 (223 आर.टी.एक्ट)

जी.सी.एम.एस .संख्या:–2019 / 00003

उनवान

1. राजेन्द्र पुत्र श्योजी जाति दरोगा की ठयारी, निवासी ग्राम देहलोद तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।

....अपीलांट / वादी।

बनाम

1. बिलास पुत्र मोजी जाति नाथ योगी।
2. सुरेश पुत्र बिलास
3. छोटा देवी पत्नि बिलास
4. कजोडी पत्नि सुरेश
5. कल्ली पत्नि रमेश
6. बलराम पुत्र सुरेश
7. चेतराम पुत्र सुरेश
8. धर्मराज पुत्र रमेश
9. मटरी पत्नि बलराम
10. फोरंती पत्नि चेतराम
11. पून्या पुत्र रमेश
12. पुजा पत्नि पून्या
13. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील मलारना डूंगर
14. शाखा प्रबधंक बैंक ऑफ बडोदा शाखा खिरनी तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

....रेस्पोडेन्टस।

उपस्थित:–

1. श्री श्याम मोहन शर्मा अधिवक्ता अपीलांट।
2. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अनुपस्थित ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

–:: निर्णय ::–

दिनांक: 03.07.202

यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर में दायर वाद पत्र संख्या 02/2019 बउनवान राजेन्द्र बनाम बिलास वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2018 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण मे संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद पत्र मातहत अदालत मलारना डूंगर के समक्ष इस आशय का पेश किया कि ग्राम देहलोद मे वादी के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 283/848 रकबा 1.27 है0 स्थित है, इसी के लगते हुए प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 277 रकबा 0.76 है0 व खसरा नंबर 277/838 रकबा 0.76 है0 स्थित है। प्रतिवादी की भूमि से वादी का कोई वास्ता नही है। वादी की खातेदारी की आराजी से लगती हुई पीछे की ओर वन विभाग की भूमि है। प्रतिवादीगण आए दिन वादी के कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न करते है। अतः अनुतोष चाहा गया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 283/848 रकबा 1.27 है0 ग्राम देहलोद पर वादी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की मजाहमत एवं मदामखत उत्पन्न ना स्वयं करे ना किसी अन्य से करावें। प्रतिवादी संख्या 01 ता 12 ने अपने जवाब दावे में कथन किया कि ग्राम देहलोद में भूमि खसरा नंबर 283/848 रकबा 1.27 है0 पर वादी का कोई कब्जा नही है इस कारण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी नही है। मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर ने दिनांक 19.06.2018 को तनकीवाइज किए गए विवेचन एवं निर्णय के अनुसार वादी का वाद स्पष्ट रूप से सिद्व नही होने के कारण स्वीकार योग्य नही पाए जाने से खारिज फरमा दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

अपील के साथ ही धारा 05 मियाद अधिनियम भी पेश किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट दिल्ली मे मजदूरी करने चला गया था अपीलांट को दिनांक 01.01.19 को वकील द्वारा सूचना पूछने पर उक्त निर्णय व डिक्री का ज्ञान हुआ अतः अपील पेश करने मे हुई देरी को कण्डोन फरमाते हुए अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करे।

3. अपील मीमों संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मातहत अदालत ने दावा मे तनकी नंबर 01 "आया भुमि खसरा नंबर 283/848 रकबा 1.27 है0 ग्राम देहलोद वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भुमि है। इस तनकी नंबर को सिद्व करने का भार वादी पर था इस प्रमाणित व कब्जे काश्त की भुमि है। इसे प्रमाणित करने के लिए अपीलांट/वादी ने नकल जमाबंदी संवत् 2068–2071 प्रदर्श–01 नकल नक्शा ट्रेस

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

प्रदर्श–2 प्रस्तुत कर इन दोनो दस्तावेजात को प्रदर्श करवाकर वादी ने इस तनकी नंबर 01 को प्रमाणित किया है और मातहत अदालत ने अपने आलौच्य निर्णय मे भी इस तनकी नंबर 01 वादी अपीलांट के पक्ष मे निर्णित किया है उसके पश्चात् भी मातहत अदालत ने अपीलांट वादी के दावा को खारिज करने में भारी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत का निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2018 खारिज फरमाया जावें।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

5. सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की गई।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के जवाब में कथन है कि अपील को देरी से पेश करने का कोई औचित्य नहीं है। अपीलांट द्वारा देरी क्यू हुई ? इसका उचित कारण प्रार्थना पत्र में अंकित नही किया गया है। अतः अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम खारिज कर अपील खारिज की जावें।

7. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलाण्ट द्वारा सशपथ सत्यापित किया है जबकि जवाब में कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधि. के साथ संलग्न शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा भी मियाद बिन्दु के बारे में नरम रुख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

8. मुख्य बहस मे अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि मातहत अदालत मे अपीलांट/वादी ने स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया था जिसमें मातहत अदालत को विवादित भूमि का स्वामित्व ही देखा जाना था स्वामित्व का प्रमाण राजस्व अभिलेख जमाबंदी भी अपीलांट/वादी ने प्रस्तुत कर दी थी उसके पश्चात् भी मातहत अदालत ने वादी का दावा खारिज करने मे भारी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर मातहत अदालत का निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2018 को अपास्त फरमाया जावें।

9. हमारे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

10. पत्रावली मे उपलब्ध दस्तोवजों के के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत् 2068–2071 वाके ग्राम देहलोद पटवार क्षेत्र कहारउर्फबडागांव तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर के अनुसार खसरा नंबर 283/848 रकबा 1.27 है0 राजेन्द्र पुत्र श्योजी दरोगा सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार खसरा नंबर 277 रकबा 0.76 है0 सुरेश पुत्र बिलास नाथ सा0 देह खातेदार व खसरा नंबर 277/838 रकबा 0.76 है0 रमेश पुत्र बिलास नाथ सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 स्थाई निषेधाज्ञा के निम्न प्रावाधान है:–

"(1) कोई अभिधारी, जिसकी संपूर्ण जोत या उसके किसी भाग पर के अधिकार या उसके उपभोग पर उसके भू–धारक अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अतिचार किया गया हो या अतिचार किये जाने का भय हो, शाश्वत व्यादेश के लिए वाद ला सकेगा।"

इससे स्पष्ट है कि स्थाई निषेधाज्ञा के लिए दो आवश्यक तथ्य है कि:–
(1) व्यक्ति रिकॉर्डेड खातेदार हो।
(2) व्यक्ति वाद दिनांक को भौतिक रूप से विवादित आराजीयात पर काबिज हो।

प्रथम:– जवाब दावा के विशेष विवरण के अंकित किया है कि ग्राम देहलोद में भूमि साबिक खसरा नंबर 66/1 रकबा 26 बीघा 10 बिस्वा थी जिसमें से वादी को दिनांक 08.06.92 को 03 बीघा भूमि आवंटित हुई, उसी दिन प्रतिवादी संख्या 02 व 03 को भी 3–3 बीघा भूमि आवंटित हुई। इसी बिंदु पर **रेस्पोडेन्ट ने यह कथन** अंकन किया है कि "हमारी उक्त पक्की पाल के दक्षिण में वन विभाग की भूमि शुरू हो जाती है उक्त वन विभाग की भूमि में ही वादी को पटवारी हल्का द्वारा कब्जा दे दिया गया जिस पर वादी ने भी नाले का पानी रोकने व जमीन समतल करने के लिए पक्की पाल लगा दी जो अधिक पानी के कारण आधी पाल टूट गई व आधी पाल मौके पर आज भी खडी है।" इस कथन की **ताइद स्वयं अपीलांट** ने अदालत मातहत मे की गई जिरह प्रदर्श–01 " यह कथन सही है कि मेरे द्वारा बनाई गई पाल से अधिक पानी की आवक होने के कारण आधी पाल टूट गई।" दोनों के बयानो से यह स्पष्ट है कि दोनो पक्षकारान की आराजीयात के मध्य **"पक्की पाल"** है और वह स्थाई निशान हैं। इस प्रकार दोनो पक्षकारान के मध्य **"स्थायी सीमा"** पक्की पाल है तो स्पष्ट है कि किसी प्रकार का अतिक्रमण रेस्पोडेन्ट द्वारा नही किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

द्वितीय:– पत्रावली मे ऐसा कोई " **मौका रिपोर्ट"** अथवा " **सीमाज्ञान"** की रिपोर्ट नही है जिससे यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा वास्तव मे अतिक्रमण किया गया। इस कारण भी अपील अपीलांट खारिज योग्य है। अदालत मातहत द्वारा तनकी नम्बर 02 व 04 को सही विवेचित किया जाकर विधि अनुकूल निर्णय पारित किया गया है, उसमें किसी हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

11. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन पाए जाने से खारिज की जाती है। मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर के मुकदमा नंबर 02/2019 बउनवान राजेन्द्र बनाम बिलास वगैरह में पारित निर्णय व डिकी दिनांक 19.06.2018 को यथावत् रखा जाता है। तदानुसार पर्चा डिकी जारी हो।

12. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 03.07.2023 को सुनाया गया।

अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते सवाई माधोपुर

03.07.23

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner